110

2/2

Tele. : 23381652
Fax : 23073160

सत्यमेव जयते

Secretary to the Government of India
जनजातीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Tribal Affairs
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
E-mail : secy-tribal@nic.in
Website : www.tribal.gov.in

FAX

D.O. No.19012/38/2006-C&LM

23rd September, 2009.

Dear Shri Pillai,

With reference to your D.O. letter No.U.11023/2/2006-UTL dated 12th September, 2009, we have the following comment to offer on the draft Andaman and Nicobar Island Tribal Regulation, Chapter VI.

"यदि हम मसौदा विनियमन की सुझाई गई प्रस्तावना से सहमत हैं तो ग्राम परिषद (वीसी) साथ-साथ पर्यवेक्षण के सभी आयाम दिशानिर्देश तथा कार्यों के नियंत्रण द्वीप परिषद (आई सी) के पास रहेंगे । निकोबारीस के हित में ग्राम परिषदों की कार्रवाईयों की देखरेख, दिशा निर्देश तथा सुधार के लिए पहला मौका द्वीप परिषदों के पास होना चाहिए । दी गई समय सीमा (तीन माह हो सकती है) के अन्दर यदि द्वीप परिषद इन पर्यवेक्षण तथा नियत्रंक कार्यों का प्रयोग करने में असफल होती है तो उपायुक्त या सहायक आयुक्त जिसे उपायुक्त के रुप में प्रत्यायोजित किया गया है, को विनियमन के अध्याय VI में उल्लिखित कार्यों का प्रयोग करना चाहिए । अन्यथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का पार्श्विक रुप से संलिप्त होना हस्तक्षेप समझा जा सकता है । तथापि, प्राकृतिक आपदाओं या महामारियों के मामले में आपातकालीन शक्तियां उपायुक्त के पास होंगी जो ग्राम परिषद की संलिप्तता का ध्यान किए बिना ही इन शक्तियों का प्रयोग करेगा ।"

The rest we agree.

Regards,

Yours sincerely,

23/9/09

(G.B. Mukherji)

S(UM)
J.S.(UT)

Shri Gopal K. Pillai,
Home Secretary,
North Block,
New Delhi.